राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1071/2006/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1072/2006/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लिमिटेड,
बी–30, ज्योति मार्ग, बापूनगर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन. के. बैद, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 101 व 102/आरएसटी/ए/प्रवेशकर/2005–2006 में राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 09.01.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रवेश कर अधिनियम के नियम 18 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.06.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. इन अपीलों में अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9.01.2006 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करने में दिए गए दोनों आधार अनुचित हैं।

लगातार.....2

4. राजस्व का यह तर्क है कि — .(1) कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्व में अपीलीय अधिकारी के Remand order के निर्देशों की पालना कर जांच के बाद प्रवेश कर आरोपण किया है, एवं (2) कि व्यवहारी द्वारा राज्य में माल प्राप्त किया जाना इसलिए प्रमाणित है कि क्रेताओं के आदेशानुसार माल की डिलीवरी कम्पयूटर्स के installation पर पूर्ण मानी जावेगी।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का पठन करते हुए कथन किया कि विवादित माल व्यवहारी की जयपुर ब्रांच में प्राप्त किया जाकर अन्तिम ग्राहकों के स्थान पर install किया गया है अतः राज्य के प्रवेश कर का दायित्व व्यवहारी का है, अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश अविधिक है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर कथन किया कि व्यवहारी की जयपुर ब्रांच द्वारा माल न तो प्राप्त किया गया एवं न ही विक्रय किया गया है ऐसी स्थिति में प्रवेश कर आकर्षित नहीं होता है।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई जब रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया ।

8. प्रकरण में प्रतिकरापवंचन वृत जयपुर के अधिकारी द्वारा व्यवहारी की जयपुर ब्रांच का सर्वेक्षण किया जाकर, जांच हेतु दस्तावेज अभिग्रहित किये गए थे। जांच में यह तथ्य पाया गया कि कम्प्यूटर निर्माण करने वाली व्यवहारी कम्पनी की जयपुर ब्रांच द्वारा विभिन्न क्रेताओं, विशेषकर बैंक इत्यादि जिन्होंने कम्प्यूटर्स की खरीद own use के लिये HCL infosystem से की है, उनके क्रय ऑर्डर सीधे नोएडा एवं पांडीचेरी को दिये गए एवं आयातित माल सीधे क्रेताओं के यहां install किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने क्रय आदेश की इस शर्त के कारण कि क्रय आदेशानुसार माल की delivery installation of computer पर ही मानी जावेगी, एवं installation का कार्य चूंकि जयपुर ब्रांच द्वारा किया गया है अतः माल की प्राप्ति राज्य में प्रथमतया जयपुर ब्रांच द्वारा लेना मानते हुए इस माल पर अधिनियम की धारा 3(1) अनुसार consumption, use or sale therein मानते हुए जयपुर ब्रांच पर प्रवेश कर आरोपित किया गया है।

9. विभाग का संक्षिप्त में आरोप यह था कि HCL company द्वारा प्रवेश कर बचाने के लिए क्रेताओं द्वारा सीधे आयात करना बताया है परन्तु installation करने की शर्त पूरी करने हेंतु कम्पनी की जयपुर ब्रांच द्वारा delivery लेना अनिवार्य होने से, माल की प्राप्ति जयपुर ब्रांच की होकर इसका use / consumption/sale मानते हुए कम्पनी पर प्रवेश कर आरोपित किया है जबकि कम्पनी का स्पष्ट जवाब था कि क्रय आदेश नोएडा एवं पांडीचेरी राज्य के नाम जारी थे एवं माल कम्पनी से सीधे ग्राहकों को ही भिजवाया गया है एवं जयपुर

लगातार.....3

ब्रांच द्वारा कोई delivery नहीं ली गई न ही किसी ब्रांच द्वारा अन्य ब्रांच को माल Transfer किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रवेश कर का दायित्व वास्तविक क्रेता का है क्योंकि माल का उपयोग/उपभोग भी राज्य के क्रेताओं द्वारा ही किया गया है।

10. उक्त तथ्यों एवं सर्वे के आधार पर प्रथम बार पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.08.2003 के विरूद्व प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा इस टिप्पणी के साथ स्वीकार किया गया कि प्रकरण में यह विवाद नहीं है कि माल राज्य के बाहर से अन्तिम क्रेताओ के आदेश पर आयातित किया गया है, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल का स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग/उपयोग अथवा बिक्री किया जाना प्रमाणित नहीं है अतः प्रकरण को Remand करते हुए यह अवसर विभाग को दिया गया कि वह माल अपीलार्थी द्वारा लाया जाना एवं उपयोग/उपभोग किया जाना प्रमाणित होने पर प्रवेश कर का दायित्व निर्धारित करे। यह अपील निर्णय दिनांक 11.02.2004 को किया गया था।

11. प्रथम बार किये गये उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 11.02.2004 के निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 15.06.2005 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया, परन्तु उसमें पूर्व के आदेश के अनुसार ही कर, ब्याज तथा शास्ति का आरोपण कर दिया गया। प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.06.2005 के विरूद्व अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय आदेश दिनांक 9.01.2006 द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.6.2005 को अपास्त कर दिया गया, जिसके दो आधार दिए गए हैं — प्रथम, यह कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Remand order के निर्देशों की पालना नहीं की गई एवं न ही जांच कर यह प्रमाणित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा माल को राज्य में स्वयं ने प्राप्त कर राज्य के क्रेताओं को माल का विक्रय किया गया है या उपयोग किया है एवं द्वितीय कारण यह दिया है कि माल क्रेताओं के आदेश से प्राप्त किया गया एवं क्रेताओं द्वारा उपयोग किया गया है। यह भी टिप्पणी की है कि यदि यह अवधारित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा माल प्राप्त कर राज्य में विक्रय किया गया है तब राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत करारोपण किया जाना अनिवार्य था, जबकि ऐसा करारोपण नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अन्तर्राज्यीय व्यवहार में माल का अन्तरण क्रेताओं को नहीं होना प्रमाणित किये बिना, व्यवहारी पर करारोपण का कोई विधिक आधार नहीं है। उक्त कारणों के अधीन अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रवेश कर आरोपण को निरस्त किया गया है।

लगातार.....4

12. कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश के परीक्षण पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विभागीय सर्वेक्षण में यह आरोप व्यवहारी के विरूद्व लगाया गया था कि उनकी जयपुर ब्रांच ने क्रेताओं से ऑर्डर प्राप्त कर माल राज्य के बाहर से सीधे क्रेताओं को भिजवाने के दस्तावेज बनाकर कर चोरी की है जबकि क्रय आदेश में अंकित शर्तों अनुसार delivery तब पूरी होगी जब installation हो जाये, एवं installation का कार्य जयपुर ब्रांच द्वारा होने से इस माल का उपयोग/उपभोग व्यवहारी द्वारा माना गया। कर निर्धारण अधिकारी का यह आदेश विधिक प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत है। कर निर्धारण अधिकारी के सर्वेक्षण में ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए जो माल राज्य में व्यवहारी द्वारा प्राप्त करना प्रमाणित करे। यह उल्लेखनीय है कि माल राज्य के बाहर से आयात हुआ इस पर विवाद नहीं है, न ही इस बिन्दु पर विवाद है कि क्रेताओं ने स्वयं के उपयोग के लिये माल राज्य के बाहर से अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में पंजीकृत या अपंजीकृत डीलर के रूप में मंगवाया एवं खरीद राशि का भुगतान किया गया तब प्रवेश कर का दायित्व उन क्रेताओं का ही था, न कि अपीलार्थी की जयपुर ब्रांच का दायित्व है। यदि कर निर्धारण अधिकारी की यह अवधारण मानी जावे कि व्यबहारी द्वारा माल प्राप्त कर राज्य में क्रेताओं को दिया गया है तब भी यह अभियोग राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित होता कि माल का स्थानीय विक्रय हुआ है जो कर योग्य है एवं उसके पश्चात राज्य सरकार की प्रवेश कर की अधिसूचना दिनांक 05.10.2002 से राज्य में कर चुकाया जाने से कर मुक्त होते, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस मूल बिन्दु पर कोई कार्यवाही नही की, जो पूर्णतया अविधिक है। प्रकरण में विधिक स्थिति यह थी कि जिन क्रेताओं ने माल अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में मंगवाया था, उन पर प्रवेश कर का दायित्व निश्चित रूप से आकर्षित था, क्योंकि माल का उपयोग एवं उपभोग उनके द्वारा किया जाना प्रमाणित है, परन्तु उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही नहीं करने से राजस्व की हानि हुई है।

13. उक्त विवेचन के आलोक में व्यवहारी के विरूद्ध माल के उपयोग/उपभोग अथवा विक्रय करने के प्रमाणों/साक्ष्यों के बिना आरोपित किए गए कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य